I/201658/2024

:: बैठक की सूचना ::
बैठक की तिथि: 27.03.2024
समय : दोपहर 12:00 बजे

संख्याः I/201658/2024 **/70024/FCD-IRFC/FFCT/5/2022**

प्रेषक,

सी. रवि शंकर,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) **::देहरादूनः: दिनांकः** 22 **मार्च, 2024**

विषयः– **16वें वित्त आयोग के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आहूत बैठक की सूचना।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार की अधिूसचना संख्याः 5300, दिनांकः 31.12.2024 द्वारा वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद–280 के खंड (1), के अनुसरण में डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है।

2– 16वें वित्त आयोग के कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें एक निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। **इस संबंध में संलग्न एजेण्डा बिन्दु के अनुसार मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में दिनांकः 27.03.2024 को को दोपहर 12:00 बजे एक बैठक आहूत की गई है।**

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न एजेण्ड़ा बिन्दु के अनुसार अपने विभाग से संबंधित वांछित सूचनाओं सहित उक्त तिथि को आहूत बैठक में यथा प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,
Signed by C Ravi Shankar
Date: 22-03-2024 18:09:06
(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

संख्याः I/201658 **/33449/FCD-IRFC/FFCT/10/2022, तद्‌दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री इन्दु कुमार पाण्डे (से0नि0 मुख्य सचिव), सलाहकार, वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख/ वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख/ वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख/ वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. व्यवस्थाधिकारी, सचिवालय प्रशासन को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त तिथि को निर्धारित बैठक हेतु मुख्य सचिव सभा कक्ष आरक्षित करने का कष्ट करें।

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

:: बैठक का एजेण्डा ::

1. आयोग को सन्दर्भित विषय (टी.ओ.आर.) समस्त विभागों को पूर्व में प्रेषित किये गये हैं। आयोग को सन्दर्भित विषयों के अन्तर्गत यदि विभाग से संबंधित कोई सूचना सम्भावित अथवा उपलब्ध है, तो इस संबंध में अंग्रेजी में एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर उपलब्ध करायी जाय।
2. आयोग के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु समस्त विभागों को दिनांकः 04 मार्च, 2024 को पत्र प्रेषित करते हुये अनुरोध किया गया था कि सभी विभाग शासन एवं विभाग स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुये नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, विभाग, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल तत्काल उपलब्ध कराये। परन्तु अधिकांश विभागों द्वारा अभी तक नोडल अधिकारी नामित करने की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।
3. कार्यालय के पत्र दिनांकः 04 मार्च, 2024 के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप (Statements) प्रेषित करते हुये अनुरोध किया गया था कि निर्धारित प्रारूपों पर वांछित सूचना दिनांकः15.03. 2024 तक उपलब्ध करा दें परन्तु विभागों द्वारा अभी तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।
4. आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, पलायन, कृषि, आपदा प्रबन्धन, पर्यटन, ऊर्जा अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण विषयों पर विभागों द्वारा कराये गये शोध कार्यो/ रिपोर्ट की आवश्यकता है। अतः सभी विभाग जिनके द्वारा किसी भी क्षेत्र में शोध कार्य /अध्ययन/ रिपोर्ट तैयार की गई हो, बैठक में उपलब्ध करायें।
5. आयोग द्वारा अभी टॉपिक नोट उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। टॉपिक नोट प्राप्त होने पर संबंधित विभागों को यथा समय प्रेषित कर दिया जायेगा। विभागों द्वारा 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित टॉपिक नोट पर पूर्व में सूचना उपलब्ध करायी गई थी। अतः विभाग उक्तानुसार पूर्व तैयारी कर लें।
6. विभागों द्वारा Up-gradatrion and Special Problems के संबंध में अनिवार्य रूप से प्रस्ताव तैयार करते हुये वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जाय।
7. आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर वांछित सूचनाओं का शासन स्तर पर परीक्षण करते हुये विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।
8. 16वें वित्त आयोग द्वारा वांछित सूचनायें एवं आयोग को सन्दर्भित विषय पर एक निश्चित समयावधि के अन्दर मैमोरेण्डम प्रेषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः सभी विभाग 16वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगें।